न्यायालय अपर जिला कलक्टर फलोदी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री गोपालराम बिरडा (आर.ए.एस)

परिवाद संख्या 02/2024

प्रार्थी–

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. श्री जितेन्द्र परिहार श्री मोहनलाल परिहार, उम्र 32 वर्ष, (एफ बी ओ)
   फर्म–मैसर्स – श्री राधे केम फूड, प्लोट संख्या (12)–399, (30)–380, (38)–372, मलार रिन तह0 फलोदी जिला जोधपुर। निवासी कुम्हारो का बास, फलौदी 342301
2. श्रीमति गुंजन अग्रवाल (भागीदार)
   फर्म–मैसर्स – श्री राधे केम फूड, प्लोट संख्या (12)–399, (30)–380, (38)–372, मलार रिन तह0 फलोदी जिला जोधपुर।
3. श्री मुकेश अग्रवाल (भागीदार)
   फर्म–मैसर्स – श्री राधे केम फूड, प्लोट संख्या (12)–399, (30)–380, (38)–372, मलार रिन तह0 फलोदी जिला जोधपुर।
4. श्री रेखा अग्रवाल (भागीदार)
   फर्म–मैसर्स – श्री राधे केम फूड, प्लोट संख्या (12)–399, (30)–380, (38)–372, मलार रिन तह0 फलोदी जिला जोधपुर।
5. श्री मनोज (भागीदार)
   फर्म–मैसर्स – श्री राधे केम फूड, प्लोट संख्या (12)–399, (30)–380, (38)–372, मलार रिन तह0 फलोदी जिला जोधपुर।
6. श्रीमति सुशीला देवी अग्रवाल (भागीदार)
   फर्म–मैसर्स – श्री राधे केम फूड, प्लोट संख्या (12)–399, (30)–380, (38)–372, मलार रिन तह0 फलोदी जिला जोधपुर।
7. फर्म–मैसर्स – श्री राधे केम फूड, प्लोट संख्या (12)–399, (30)–380, (38)–372, मलार रिन तह0 फलोदी जिला जोधपुर।

आदेश दिनांक:–16.05.2024

प्रार्थी रजनीश शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.04.2023 को 12:30 पी.एम. मैं रजनीश शर्मा वाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चौंकिग फर्म–मैसर्स – श्री राधे केम फूड, प्लोट संख्या (12)–399, (30)–380, (38)–372, मलार रिन तह0 फलोदी जिला जोधपुर पर पहुचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय दूकान पर विक्रेता की हैसियत श्री जितेन्द्र परिहार श्री मोहनलाल परिहार, उम्र 32 वर्ष, निवासी कुम्हारो का वास, फलौदी उपस्थित मिले जो उक्त परिसर पर खाद्य पदार्थ आयोडाईज्ड सॉल्ट आम जनता को उपयोग/विक्रय हेतु भण्डारण किये हुये पाये गये। विक्रेता से वर्ष 2023 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, जो इन्होने एफएसएसआई अनु० 10016013001096,स्वय का पहचान पत्र श्री जितेन्द्र परिहार, जीएसटी प्रमाण पत्र, पेश किया जिसके अनुसार उक्त फर्म भागीदारी फर्म है । जिसकी सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न है ।

1. परिसर का निरीक्षण करने पर ट्रिपल रिफाईन्ड सुपरियर आयोडाईज्ड सॉल्ट (राधे) 50 किलोग्राम के 700 प्लास्टिक बैग्स आम जनता को वास्ते विक्रय हेतु था । इसको खोलकर निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने के लिये [illegible] बोहरा पुत्र श्री तोलाराम बोहरा निवासी–भामियाजी के मन्दिर के पास, मलार, फलौदी मो० 9828357[illegible] के [illegible] विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की । प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व [illegible] यह बता दिया कि यह ट्रिपल रिफाईन्ड सुपरियर आयोडाईज्ड सॉल्ट (राधे) का नमूना [illegible] एक्ट के तहत खरीद कर [illegible]। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है । जो सलग्न है

2. रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये भाव से रूपये 2/– नगद देकर ट्रिपल रिफाईन्ड सुपरियर आयोडाईज्ड सॉल्ट (राधे) 800 ग्राम साफ सुखी एंव खाली नयी पॉलीथीन बैग में वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। । जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

3. विक्रेता व गवाह के सामने ट्रिपल रिफाईन्ड सुपरियर आयोडाईज्ड सॉल्ट (राधे) 800 ग्राम को चार साफ सुखी खाली एंव नयी नमूना शिशियों मे बराबर–बराबर (200 ग्राम) डालकर एयर टाईट बन्द कर इन भागो हेतु लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ. कोड व सीरियल नम्बर एम–3433 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं [illegible] चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल

अति.जिला मजिस्ट्रेट
फलौदी (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:14:12 IST
Reason: SelfAttested

चिपकाया । एंव चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–3433 हस्ताक्षर युक्त डा० जितेन्द्र पुरोहित, अभिहित अधिकारी, जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूने पर सिर से होते हुए नीचें पेंदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार शील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेंदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर कोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये । जिस सील से नमूना एम–3433 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द अंकित किया । उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की असल मौका फर्द सलंग्न है ।

4. यह है कि उक्त नमूना लेने के पश्चात् ट्रिपल रिफाईन्ड सुपरियर आयोडाईज्ड सॉल्ट (राधे) 50 किलोग्राम के 700 प्लास्टिक बैग्स कुल मात्रा – 34999.2 किलोग्राम को सिज्ड कर सम्पूर्ण माल को उक्त परिसर में खाद्य कारोबारकर्ता श्री जितेन्द्र परिहार को जरिये प्रारूप – 2 एंव प्रारूप – 3 के द्वारा जप्त कर उनकी सुरक्षित अभिरक्षा मे सुर्पुद किया गया। उक्त दोनो प्रारूप संलग्न परिवाद है।

5. कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक का पता अंकित किया गया एंव जिस सिल से नमूना सिल्ड किया गया उसका सिल इम्प्रेशन अंकित किया गया । फार्म नम्बर 6 की एक – एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया । फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वय के द्वारा दिनांक 13-04-2023 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है ।

6. एम – 3433 नमूने के द्वितीय एंव तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 13.04.2023 को एव चतुर्थ भाग दिनांक 13.04.2023 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं ।

7. अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 645–651 दिनांक 05.04.2023 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल. एस. 318 / एक्ट / 2023 / 361 दिनांक 08.05.2023 1. श्री जितेन्द्र परिहार पुत्र श्री मोहनलाल परिहार उम्र 32 वर्ष (एफ बी ओ) 2. श्रीमति गुजन अग्रवाल (भागीदार), 3. श्री मुकेश अग्रवाल (भागीदार), 4. श्री रेखा अग्रवाल (भागीदार), 5. श्री मनोज (भागीदार), 6. श्रीमति सुशीला देवी अग्रवाल (भागीदार), 7. फर्म– मैसर्स – श्री राधे केम फूड, प्लोट संख्या (12)–399,(30)–380,(38)–372, मलार रिन तह० फलौदी जिला जोधपुर (फर्म) को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुचनार्थ प्रेषित की गयी । इनके द्वारा निर्धारित अवधि में पुनः जांच हेतु अपील प्रस्तुत नही की गयी। को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुचनार्थ प्रेषित की गयी । इनके द्वारा निर्धारित अवधि में पुनः जांच हेतु अपील प्रस्तुत नही की गयी। एंव उक्त की एक मूल प्रति मय जांच रिपोर्ट जारी करने में विलम्ब हेतु जारी खाद्य विश्लेषक जोधपुर का पत्र संख्या एफ ए 58 दिनांक 13.04.2023 के साथ मुझे प्राप्त हुई, के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ ट्रिपल रिफाईन्ड सुपरियर आयोडाईज्ड सॉल्ट (राधे) अमानक स्तर (Sub-standard) होना पाया गया उक्त अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोट सलंग्न है ।

8. प्रकरण से सम्बन्धित असल मूल कागजात एंव अधिसूचनाओं की छाया प्रतियाँ वास्ते अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी, जोधपुर को प्रस्तुत किये जिसकी प्रति सलंग्न है ।

9. श्रीमान अभिहित अधिकारी जोधपुर ने समस्त कागजातों का अवलोकन एवं अध्ययन किया एंव न्यायनिर्णयन स्वीकृति क्रमांक – एफएसएसए / 2024 / स्वीकृति / एम–3433 / 599–600 दिनांक 04.04.24 को जारी की एंव मुझें प्राधिकृत कर आदेश दिये कि प्रकरण को न्यायनिर्णयन आवेदन न्याय निर्णयन अधिकारी एंव सम्बन्धित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, फलौदी के समक्ष पेश करें। इसलिये मैं रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आपके समक्ष प्रस्तुत होकर निवेदन करता हूँ कि

अति. जिला मजिस्ट्रेट
फलौदी (राज.)

1. श्री जितेन्द्र परिहार श्री मोहनलाल परिहार, उम्र 32 वर्ष, (एफ बी ओ)
   फर्म–मैसर्स – श्री राधे केम फूड, प्लोट संख्या (12)–399, (30)–380, (38)–372, मलार रिन
   तह0 फलोदी जिला जोधपुर। निवासी कुम्हारो [illegible] फलोदी 342301
2. श्रीमति गुंजन अग्रवाल (भागीदार)
   फर्म–मैसर्स – श्री राधे केम फूड, प्लोट संख्या (12)–399, (30)–380, (38)–372, मलार रिन
   तह0 फलोदी जिला जोधपुर।
3. श्री मुकेश अग्रवाल (भागीदार)
   फर्म–मैसर्स – श्री राधे केम फूड, प्लोट संख्या (12)–399, (30)–380, (38)–372, मलार रिन
   तह0 फलोदी जिला जोधपुर।
4. श्री रेखा अग्रवाल (भागीदार)
   फर्म–मैसर्स – श्री राधे केम फूड, प्लोट संख्या (12)–399, (30)–380, (38)–372, मलार रिन
   तह0 फलोदी जिला जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:14:12 IST
Reason: SelfAttested

5. श्री मनोज (भागीदार)
फर्म–मैसर्स – श्री राधे केम फूड, प्लोट संख्या (12)–399, (30)–380, (38)–372, मलार रिन तह0 फलोदी जिला जोधपुर।

6. श्रीमति सुशीला देवी अग्रवाल (भागीदार)
फर्म–मैसर्स – श्री राधे केम फूड, प्लोट संख्या (12)–399, (30)–380, (38)–372, मलार रिन तह0 फलोदी जिला जोधपुर।

7. फर्म–मैसर्स – श्री राधे केम फूड, प्लोट संख्या (12)–399, (30)–380, (38)–372, मलार रिन तह0 फलोदी जिला जोधपुर।

ने अमानक **(Sub-standard)** पदार्थ पनीर का **निर्माण एंव विक्रय कर** एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लघंन किया है जो की धारा 51 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः निवेदन है कि बाद तहकीकात अभियुक्तगण को जुर्माना करने की कृपा करे ताकि अमानक **(Sub-standard)** खाद्य पदार्थ के विक्रय/उपयोग को रोका जा सकें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगणो की तलबी हेतु नोटिस जारी होकर तामील हेतु भेजे गये एवं अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सिकंदर घोषी ने वकालतनामा पेश किया जिसे सामिल मिसल किया गया। इसके बाद में जवाब हेतु अप्रार्थीगण को कई अवसर दिये गये परन्तु अप्रार्थीगण ने अपना साक्ष्य सबूत व जवाब प्रस्तुत नही किया बार–बार अवसर देने के उपरान्त भी उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही किया गया। खाद्य सुरक्षा के प्रकरण में त्वरित न्याय अत्यावश्यक है ताकि लोक जीवन स्वास्थ्य की रक्षा हो सके ।

अतः खाद्य सुरक्षा एंव मानव अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना के हेतु मनन किया गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया और अवलोकन बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायहित मे जुर्माना किया जाय।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना –पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण प्रथम बार दोषी पाये गये है उसको मध्य नजर रखते हुए न्यायहित में शास्ती रूपये 5000/– अक्षरे रूपये पाँच हजार रूपये मात्र की आरोपित की जाती है एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसकी भी चेतावनी दी जाती है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 16.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गोपालराम
अति. जिला मजिस्ट्रेट
फलौदी (राज.)
(गोपालराम बिरड़ा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फलोदी

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:14:12 IST
Reason: SelfAttested